न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01/2024, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: श्री रविन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैर सायल उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–22.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना सदर	60/17	06.03.2017	13 RPGO	52/2017	21.03.2017	200 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 21.04.2017
2.	थाना सदर	32/2021	01.02.2021	13 RPGO	14/2021	10.02.2021	100 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 23.02.2021
3.	थाना सदर	46/2021	11.02.2021	13 RPGO	23/2021	23.02.2021	100 रूपये अर्थदण्ड सजा दिनांक 04.03.2021
4.	थाना सदर	151/23	27.06.2023	354, 457 आईपीसी	224/2023	18.08.2023	जैर ट्रायल

उक्त शख्स शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा उपस्थित आये। लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध कोतवाली थाना दौसा में जुंअे सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण एवं 354, 457 आईपीसी के अन्तर्गत एक प्रकरण दर्ज किये गये है। जिसमे से गैर सायल को धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरणों में सजा भी हो चुकी है तथा एक प्रकरण [illegible] 457 आईपीसी का अभी भी जैर ट्रायल है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने [illegible] सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधि[illegible] में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो [illegible] स्वच्छन्द रहना समाज [illegible] संकटमय हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:36:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

गया है। अतः गैर सायल शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी किसी भी तरह से जुंआ सट्टा के अपराध में लिप्त नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत है। प्रार्थी के विरूद्ध अब तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता हो, केवल ताश खेलने वाले लोगो के पास बैठने के कारण 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज हो जाने से प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी धारा 354, 457 आईपीसी के प्रकरण में मुल्जिम नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी गम्भीर किस्म का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी शान्तिपूर्वक रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। भविष्य में भी प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अतः प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण सदर थाने में दर्ज किये गये है। धारा 13 आरपीजीओ के तीनो प्रकरणों में गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल शरीफ खां पुत्र श्री मुन्ना खां जाति फकीर मुसलमान निवासी भन्डान दरवाजा भान्डारेज थाना सदर जिला दौसा को दिनांक 23.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बसवा के रास्ते होते हुये थाना अलवर जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना अलवर जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र अलवर जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना अलवर जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:36:32 IST
Reason: SelfAttested